Regd No. 240/2014-15

ISSN : 2454-6070
(Ex. UGC Approved)

An International Peer-Reviewed Research Journal

JYOTIRMAY

Research Journal of Education

July - December 2023

Volume : 16th, ISSUE - 3rd

Impact Factor 7.289 (IIJIF)

Editor In Chief :-

Dr. Neeraj Tiwari

CONTENTS

1 वैश्विक विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुविषयक और समग्र शिक्षा की भूमिका में नई शिक्षा नीति : 2020 का योगदान
डा0 अरुण कुमार चतुर्वेदी (असि0 प्रो0) 01

2 भूमंडलीकरण और मीडिया प्रबंधन
डॉ0 पीयूष पोखरिया, डॉ0 ललित चंद्र जोशी 06

3 नई शिक्षा नीति 2020 और संस्कृत वाङ्मय
डॉ0 युद्धवीर सिंह, डॉ0 गीतू गुप्ता 11

4 उपभोक्तावाद और उदय प्रकाश की कहानियाँ
डॉ० अजय कुमार 17

5 उपभोक्तावाद और अखिलेश का कथा साहित्य
डॉ० विजय कुमार 22

6 बी॰एड॰ प्रशिक्षुओं हेतु पर्यावरण शिक्षा उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में
डॉ0 रेनू रावत 26

7 महाकवि कालिदास के काव्यों में भाषा शैली का वैशिष्ट्य
डॉ श्रीनिवास पाण्डेय 32

8 मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और कल्याणकारी योजनाएँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)
डॉ.राजेश कुमार सिंह , फरहा नाज 35

9 "लीलाधर जगुड़ी : समकालीन कविता के विशेष सन्दर्भ में"
डॉ. माया दुबे 42

10 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति एवं गैर जनजाति के विद्यार्थियों की अध्ययन की आदत एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन
सरोज जोशी, डॉ रिजवाना सिद्दीकी 45

11 नागपुरी भाषा के उत्तरोत्तर विकास मे 'जोहार सहिया' एवं' गोतिया' पत्रिका की भूमिका
रवि कुमार वरीय शोधार्थी 51

12 जलवायु परिवर्तन और भारत की राश्ट्रीय सुरक्षा
डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार उपाध्याय, डॉ0 जितेन्द्र कुमार 55

13 स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन
डॉ0 प्रद्युम्न कुमार मिश्र (शिक्षक) 61

Jyotirmay Research Journal of Education
JRJoE (July-December2023) (Volume 16th) Issue 03
(Ex UGC Approved SR.N.-63610) ISSN : 2454-6070
Impact Factor- 7.289 (IIJIF)

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और कल्याणकारी योजनाएँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ.राजेश कुमार सिंह , फरहा नाज
1- डॉ0 राजेश कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह रा0स्ना0 महाविघालय, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर,
1- फरहा नाज, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह रा0स्ना0 महाविघालय, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर,

सार

सामाजिक विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक जीवन स्तर की उन्नति होती है और मनुष्य के प्रयासों का समावेश होता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी समृद्ध होता है। भारतीय संविधान नागरिकों को समानता, भाषा, धर्म और संस्कृति जैसे मुद्दों पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण, सुरक्षा और हक दिलाने की देश की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए कार्य करेगा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान व विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और उसकी आबादी कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार से वंचित समुदायों के विकास की मुख्यधारा से बाहर की जातियों, सामाजिक संरचना के निचले पायदान पर आने वाली जातियोंध्समुदायों के विकास उन्नयन और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं हैं। वर्तमान में इन कल्याणकारी योजनाओं का सफल संचालन आशा अनुरूप हो रहा हैं या नहीं तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय इन योजनाओं के प्रति कितने जागरूक हैं, इस शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है।

कुन्जी शब्द अल्पसंख्यक समुदाय, कल्याणकारी योजनाएँ, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय।

विषय प्रवेश–

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 को की गई थी । अनुच्छेद–30 में अल्पसंख्यकों की विशिष्ट रूप से दो श्रेणियां बताई गई हैं–धार्मिक और भाषाई । आक्सफोर्ड शब्दकोश में, "अल्पसंख्यक" को एक छोटी संख्या या भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संरक्षण पर एक विशेष उप–समिति नियुक्त की गई थी, जिसने अल्पसंख्यक को जनसंख्या के गैर प्रभावी समूहों के रूप में परिभाषित किया था, जो अपनी उन स्थिर जातीय, धार्मिक तथा भाषायी परम्पराओं या विशिष्टताओं को बनाए रखना चाहते हैं जो शेष जनसंख्या की जातीय, धार्मिक तथा भाषायी परंपराओं से पूर्णतः भिन्न हैं । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षिक सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को बेहतर करने के लिए व उनके विकास के लिए मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनायें लागू की हैं। मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएँ अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और वंचित वर्गो पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदण्ड आर्थिक आधार पर तैयार किए गए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गो तक पहुंचे।

शोध अभिकल्प–

प्रस्तुत शोध पत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा योजनाओं के लाभ की प्राप्ति, इसके प्रति इनकी जागरूकता का स्तर तथा योजनाओं को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा हल्द्वानी नगर के वनभूलपुरा के वार्ड न0– 33 इंदिरा नगर को चयनित किया गया हैं ए इसमें से कुल 50 परिवारों को दैव निदर्शन दृ लाटरी पद्धतिं से चयनित किया गया है ए इस अध्ययन से सम्बंधित तथ्यों

के संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है । प्राथमिक आकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं । साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से परिवार के मुखिया से सूचनाएं प्राप्त की गयी है साथ ही द्वितीयक आकड़ों के लिए विभिन्न पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रों का प्रयोग किया गया है ।

सरकारी योजनाओं की जानकारी–

वर्तमान में जो योजनायें चल रही हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के कई स्रोत हैं, जैसे– अखबार टेलीविजन ,इंटरनेट, पास दृपड़ोस, सरकारी विज्ञापन आदि । समय–समय पर सरकार विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग करती है, जिससे लोगों को इन योजनाओं की सूचना सही समय पर मिल सके और वह इसका लाभ प्राप्त कर सकें स इस प्रश्न के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं को योजनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है

सारणी संख्या- 01

योजनाओं की जानकारी की स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम-संख्या	जानकारी का स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टेलीविजन	08	16
2	समाचार पत्र	22	44
3	आस-पड़ोस	09	18
4	सरकारी विज्ञापन	05	10
5	अन्य स्रोत	06	12
6	अन्य	50	100

उपरोक्त सारणी–01 के तथ्यों से ज्ञात होता है कि 16ः उत्तरदाताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी टेलीविजन से, 44ः समाचार–पत्रों, 18ः आस–पड़ोस, 10ः को सरकारी विज्ञापन से और 12ः उत्तरदाताओं को अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त होती है

उत्तरदाताओं की बैंक ऋण से सम्बंधित स्थिति–

एक लोन से व्यक्ति आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। चिकित्सा व्यय, अप्रत्याशित यात्रा, विवाह समारोह या घर की मरम्मत जैसी आपात स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है । जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है बैंक जनता से जो धन खातों में स्वीकार करते है उसका एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद रूप में रखते है और एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते है स हमने इस प्रश्न के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि कितने उत्तरदाता बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं

सारणी संख्या- 02

बैंक ऋण की स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम संख्या	बैंक ऋण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	13	26
2	नहीं	37	74
3	योग	50	100

सारणी से पता चलता है कि 26ः उत्तरदाताओं ने बैंक से ऋण लिया है तथा 74ः उत्तरदाताओं की बैंक ऋण तक कोई पहुँच नहीं है

उत्तरदाताओं की और । कार्ड से सम्बंधित स्थिति–

भारत में राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी करती है, जैसे की ।PL (गरीबी रेखा के ऊपर) BPL (गरीबी रेखा के नीचे)I राज्य सरकारों की ओर से आर्थिक रूप से वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के

लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, जिनकी आय 10 हजार रूपये से भी कम होती है, उनको BPL कार्ड दिया जाता है ये कार्ड वंचितों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच प्रदान करता है । BPL कार्ड गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को जिनकी वार्षिक आय 100000 से अधिक होती है

सारणी संख्या- 03

आर्थिक श्रेणी की स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम संख्या	आर्थिक श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	APL	27	54
2	BPL	23	46
3	योग	50	100

उपरोक्त सारणी -03 से प्रदर्शित होता है कि 54 % उत्तरदाता APL कार्ड की श्रेणी में आते है तथा 46% उत्तरदाता BPL कार्ड की श्रेणी में आते है l

सारणी संख्या- 04

APL कार्ड बनवाने की स्थिति के अनुसार में उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम संख्या	APL कार्ड	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	24	88.89
2	नहीं	03	11.11
3	योग	27	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 48% उत्तरदाताओं ने APL कार्ड बनवा रखा है और 06% उत्तरदाताओं ने यह कार्ड नहीं बनवाया है l

सारणी संख्या- 05

BPL कार्ड बनवाने की स्थिति के अनुसार में उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम संख्या	BPL कार्ड	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	13	56.52
2	नहीं	10	43.48
3	योग	23	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 26 : उत्तरदाताओं ने ठच्स् कार्ड बनवा रखा है, जबकि 20: उत्तरदाताओं ने यह कार्ड नहीं बनवाया है

उत्तरदाताओं की वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित स्थिति–

यह योजना 1994 में शुरू की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष तक के प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह 1200 रूपये की राशि के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अन्तराल पर दो किस्तों में किया जाता है ।

सारणी संख्या- 06

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

क्रम संख्या	वृद्धावस्था पेंशन योजना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राप्त की है	23	46
2	अपात्र	27	54
3	जानकारी नहीं थी	00	00

ISSN : 2454-6070
Impact Factor- 7.289 (IIJIF)

तक कोई पहुँच नहीं है I APL कार्ड की पात्रता रखने वाले ज्यादातर उत्तरदाताओं ने यह कार्ड बनवा रखा है, जबकि BPL कार्ड की पात्रता रखने वाले लगभग आधे उत्तरदाताओं ने यह कार्ड नहीं बनवाया हैस वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति इस समुदाय में काफी अच्छी हैस सभी पात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे । अधिकाँश उत्तरदाता विधवा पेंशन योजना के लिए अपात्र थे स अटल आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति भी अच्छी नहीं है स अधिकाँश उत्तरदाता वर्तमान में भी इस योजना से वंचित है अथवा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह अधिकांश उत्तरदाता शादी विवाह अनुदान योजना के पात्र नहीं है। प्रसूतिकाल में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों (ए.एन.एम. नर्स) का सहयोग प्राप्त करने कि स्थिति काफी उत्साह जानक है स अब ज्यादातर लोग प्रसूतिकाल में इनका लाभ उठा रहे है स मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का कोई भी लाभार्थी चयनित निदर्शन में मौजूद नहीं है स इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समुदाय के लोगों की उच्च शिक्षा तक पहुँच नहीं हैं I गौरादेवी कन्याधन योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति भी अल्पसंख्यक समुदायों में बहुत अच्छी नहीं है स पात्रता रखने वाले लोगों में लगभग आधे लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं हैस कल्याणकारी योजनाओं के ज्ञान का अभाव होने का मुख्य कारण में इस समुदाय के लोगों में जागरूकता की कमी होना है

संदर्भ–सूची

- भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वार्शिक रिपोर्ट (2018–19), https://www.minorityaffairs.gov.in
- National council of Educational Research, https://ncert.nic.in>khps202
- राष्ट्रीय धार्मिक और भाशायी अल्पसंख्यक आयोग की रिर्पाट;(10 मई,2007) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,नई दिल्ली
- भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड -3, उप-खण्ड (i) प्राधिकार से प्रकाशित, जून 29 , 2004, नई दिल्ली,
- https://ssp.uk.gov.in
- https://www.sarkariyojna.com
- https://navbharattimes.indiatimes.com
- भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वार्शिक रिपोर्ट (2021–22), https://www.minorityaffairs.gov.in
- http://escholarship.uk.gov.in

JYOTIRMAY